रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2018/आषाढ़ 12, 1940
No. 446] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2018/ASHADHA 12, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 606(अ).—केंद्रीय सरकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 12क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व सांस्थानिक मध्यकता और समझौता) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियम 3 के अधीन मध्यकता प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्राधिकारी के पास पहुंचता है ;

(ग) "प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "वाणिज्यिक विवाद" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा परिभाषित वाणिज्यिक विवाद अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "मध्यकता" से दो पक्षकारों के मध्य वाणिज्यिक विवाद समाधान, सामंजस्य और निपटारे के लिए मध्यक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(छ) "मध्यक" से मध्यकता के संचालन के लिए प्राधिकारी द्वारा पैनलित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "विरोधी पक्षकार" से वह पक्षकार अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध किसी वाणिज्यिक विवाद में अनुतोष चाहा गया है ;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;और

(ञ) "समझौता" से मध्यकता के पक्षकारों द्वारा वाणिज्यिक विवाद का समझौता अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दिए गए हैं।

3. मध्यकता प्रक्रिया का आरंभ- (1) वाणिज्यिक विवाद का पक्षकार प्राधिकारी को या तो आनलाइन या डाक द्वारा या सीधे ही अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप -1 के अनुसार अधिनियम के अधीन मध्यकता प्रक्रिया के आरंभ के लिए डिमांड ड्राफ्ट या आनलाइन प्राधिकारी को संदेय एक हजार रुपए की फीस के साथ आवेदन कर सकेगा;

(2) प्राधिकारी क्षेत्रीय और धनीय अधिकारिता तथा वाणिज्यिक विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप -2 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट और इलैक्ट्रानिक माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई-मेल भी है, नोटिस जारी करेगा और ऐसी तारीख को जो उक्त नोटिस के जारी करने की तारीख से दस दिन की अवधि से आगे की न हो विरोधी पक्षकार को प्रकट होने तथा मध्यकता प्रक्रिया में सम्मिलित होने की सहमति देने की वांछा करेगा ;

(3) जहां विरोधी पक्षकार से डाक या ई-मेल द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, वहां प्राधिकारी उप नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उसे एक अंतिम नोटिस जारी करेगा ;

(4) जहां उप नियम (3) के अधीन जारी किया गया नोटिस अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है या जहां विरोधी पक्षकार भागीदारी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार कर देता है, वहां प्राधिकारी मध्यकता प्रक्रिया को अप्रारंभ के रूप में मानेगा और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप -3 के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे आवेदक और विरोधी पक्षकार को पृष्ठांकित करेगा ;

(5) जहां विरोधी पक्षकार, उप नियम (2) या उप नियम (3) के अधीन नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् प्रकट होने के लिए और समय चाहता है, वहां प्राधिकारी यदि वह उचित समझे तो विरोधी पक्षकार से ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक की एक वैकल्पिक तारीख नियत कर सकेगा ;

(6) जहां विरोधी पक्षकार उप नियम (5) के अधीन नियत तारीख को प्रकट होने में असफल हो जाता है, वहां प्राधिकारी मध्यकता प्रक्रिया को अप्रारंभ के रूप में मानेगा और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप -3 के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे आवेदक और विरोधी पक्षकार को पृष्ठांकित करेगा ;

(7) जहां वाणिज्यिक विवाद के दोनों पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं और मध्यकता प्रक्रिया में हिस्सा लेने की सहमति देते हैं, वहां प्राधिकारी वाणिज्यिक विवाद को मध्यक को समनुदेशित करेगा और उक्त मध्यक के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए एक तारीख नियत करेगा ;

(8) प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यकता प्रक्रिया पूर्व सांस्थानिक मध्यकता के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूर्ण हो जाए, यदि यह अवधि आवेदक और विरोधी पक्षकार की सहमति से और दो महिने के लिए विस्तारित नहीं की जाती है।

4. मध्यकता करने के लिए स्थान- मध्यकता करने के लिए स्थान प्राधिकारी का परिसर होगा।

5. मध्यक की भूमिका- मध्यक नियम 3 के उप नियम (7) के अधीन समनुदेशन की प्राप्ति पर, पक्षकारों के मध्य वाणिज्यिक विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुकर बनाएगा और समझौते तक पहुंचने में उनकी सहायता करेगा।

6. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व- वाणिज्यिक विवाद का कोई पक्षकार या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परामर्शी के माध्यम से, यथास्थिति प्राधिकारी या मध्यक के समक्ष उपस्थित होगा।

7. मध्यकता की प्रक्रिया- (1) मध्यकता का संचालन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:-